[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 84/2017-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 8 नवंबर, 2017

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 50/2017- सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, सा.का. नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम सं0 20 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, "दालों सिवाय मटर (पिसम सटेविम) और तूर के" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम सं0 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"20 क	0713 10 00	मटर (पिसम सटेविम)	5 0%	-	-";

(iii) क्रम सं0 37, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "20 %" प्रतिस्थापित की जाएगी ।

[फा.सं.354/68/2006-(टीआरयू)]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 50/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, सा.का.नि. 785 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 77/2017-सीमा शुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 सा.का.नि. 1298 (अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा किया गया था ।